भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 707
दिनांक 7 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

बालिकाओं की शिक्षा

707. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:
डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनवरी, 2015 से देश में लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने तथा संतुलित लिंगानुपात प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जनवरी, 2022 से चलाए गए जागरुकता अभियानों का ब्यौरा क्या है;
(ग) जनवरी, 2022 से सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) के अंतर्गत आवंटित तथा उपयोग की गई राशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;
(घ) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत खोले गए एसएसवाई खातों की संख्या तथा कुल लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और
(ड.) सरकार द्वारा उपर्युक्त योजना की शुरूआत से ही इसकी दक्षता तथा सफलता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) : देश में लैंगिक असंतुलन और घटते बाल लिंगानुपात की प्रतिकूल दौर को रोकने के उद्देश्य से 22 जनवरी, 2015 को "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" (बीबीबीपी) योजना शुरू की गई थी। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित है और देश के सभी जिलों को

शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार इस योजना का कार्यान्वित नहीं कर रही है।

मंत्रालय ने एक प्रचालन नियमावली(मैनुअल) तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बालिकाओं के समग्र विकास के लिए बालिकाओं, उनके परिवारों और समुदायों की वर्ष भर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर सुझाए गए अभिसरण कार्यकलापों के लिए एक विषयगत कैलेंडर शामिल है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जैसे साझेदार मंत्रालयों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाया है और **गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम, 1994** के बारे में लोगों सहित सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाया है। यह अधिनियम भारत में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और लिंग अनुपात में गिरावट को रोकने के लिए बनाया गया था। इसी तरह स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया जा रहा है ताकि जमीनी स्तर पर प्रभाव डालने वाले कार्यकलापों पर अधिक खर्च को प्रोत्साहित किया जा सके उदाहरण के लिए बालिकाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देना, आत्मरक्षा शिविर लगाना, बालिकाओं के लिए शौचालयों का निर्माण, बालिकाओं के सशक्तीकरण के लिए विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन तथा सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना। इस योजना का उद्देश्य न केवल लिंग अनुपात और लैंगिक भेदभाव से संबंधित तत्काल चिंताओं को दूर करना है बल्कि बालिकाओं को महत्व देने और संतुलित लिंग अनुपात सुनिश्चित करने की दिशा में सांस्कृतिक बदलाव को बढ़ावा देना भी है।

पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर जागरूकता अभियान, बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि खाते खोलना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) जैसे केंद्रित कार्यकलापों के माध्यम से सरकार बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना चाहती है जिसका उद्देश्य लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना और संतुलित लिंग अनुपात प्राप्त करना है।

(ख) : शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधितर स्कूल संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। हालांकि, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के समन्वय से पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए 2018-19 से समग्र शिक्षा योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत बालिकाओं के लिए विभिन्न कार्यकलापों को लक्षित किया गया है। इसमें बालिकाओं के लिए पहुंच को आसान बनाने के लिए पड़ोस में स्कूल खोलना, कक्षा

आठ तक की बालिकाओं को मुफ्त वर्दी और पाठ्य-पुस्तकें, कक्षा छठी से बारहवीं तक की बालिकाओं को सरकारी स्कूलों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना, दूर-दराज/पर्वतीय क्षेत्रों में स्कूल, अतिरिक्त शिक्षक तथा शिक्षकों के लिए आवासीय क्वार्टर, बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, बालिकाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों हेतु संवेदीकरण कार्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों सहित लैंगिक संवेदनशील शिक्षण-अधिगम सामग्री इत्यादि शामिल है। इसके अलावा, समता के तहत विभिन्न कार्यकलापों के लिए विशेष राज्य विशिष्ट परियोजनाओं पर भी जोर दिया जाता है ताकि नामांकन अभियान, स्कूल में बनाए रखने हेतु प्रेरणा शिविर, लैंगिक संवेदीकरण मॉड्यूल इत्यादि को बढ़ावा देकर बालिकाओं के लिए पहुंच, उनको स्कूल में रोका तथा उनकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। ऐसी परियोजनाओं में जीवन कौशल, जागरूकता कार्यक्रम, भस्मक, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन इत्यादि शामिल हैं।

समग्र शिक्षा में सभी छात्रों के लिए समता और पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। स्कूल न जाने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं और सभी छात्रों के नामांकन के लिए प्रवेश के समय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अभियान चलाए जाते हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के डीओएसईएल के सहयोग से 7 मार्च, 2022 को कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव नामक एक विशेष अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य स्कूल न जाने वाली किशोरियों (ओओएस एजी) को औपचारिक स्कूली शिक्षा में पुनः नामांकित करना है। चिन्हित की गई 1,44,107 ओओएस एजी में से, इस अभियान में स्कूल न जाने वाली 100,786 बालिकाओं को सफलतापूर्वक पुनः नामांकित किया गया जो शिक्षा और समान अवसरों पर इस आंदोलन में विशेष ध्यान दिए जाने को उजागर करता है।

(ग) से (ड.) : सुकन्या समृद्धि खाता (एसएसए) योजना एक जमा योजना है। इसके तहत एक बालिका के नाम पर केवल एक एसएसए खाता खोला जा सकता है। इसलिए, खोले गए खातों की संख्या लाभार्थियों की संख्या के बराबर है। दिनांक 31.12.2024 तक एसएसए के तहत खोले गए खातों की कुल संख्या 4,12,99,114 है। सुकन्या समृद्धि खाता (एसएसए) योजना का ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से उचित प्रचार दिया जा रहा है। इस योजना के तहत खाते खोलने के लिए एजेंसियों द्वारा समय-समय पर लोगों की जानकारी के लिए अभियान भी चलाए जाते हैं।

*****